सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 431 राँची, बुधवार, 22 जेष्ठ, 1941 (श०) / 12 जून, 2019 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

11 जून, 2019

संख्या-एल०जी०-04/2018-251/लेज०,--झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राष्ट्रपति दि- 20.05.2019 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है |

बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम,

2018

(झारखंड अधिनियम-09, 2019)

झारखण्ड राज्य में इसके अनुप्रयोग के लिए बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 में संशोधन।

3. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 के उप धारा (1) में शब्द **"पचास हजार"** का प्रतिस्थापन।

4. अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 के उप धारा (2) में शब्द **"एक लाख"** का प्रतिस्थापन।

5. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 में संशोधन।

6. अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 के उप धारा (1) के खण्ड (a) में शब्द **"दो लाख पचास हजार"** का प्रतिस्थापन।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** -

(1) यह अधिनियम **बंगाल, आगरा तथा असम व्यवहार न्यायालय (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018** कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **अधिनियम-12, 1887 की धारा-19 में संशोधन।** - बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-12, 1887) (आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-19 में :-

(i) उप धारा (1) में शब्द **"पचास हजार"** को शब्द **"पाँच लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) उप धारा (2) में शब्द **"एक लाख"** को शब्द **"सात लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. **अधिनियम-12, 1887 की धारा-21 में संशोधन।** - धारा-21 में :-

(i) उप धारा (1) की खण्ड (a) में शब्द **"दो लाख पचास हजार"** को शब्द **"पचीस लाख"** से प्रतिस्थापित किया जायेगा;

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, रांची |

विधि विभाग

अधिसूचना

11 जून, 2019

संख्या-एल० जी०-04/2018-252/लेज०,--झारखंड विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दि-20.05.2019 को अनुमत बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (झारखंड संशोधन) अधिनियम, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा |

The Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Jharkhand Amendment) Act, 2018

(JHARKHAND ACT No-09/2019)

To Amend the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act 12 of 1887) in its application to the State of Jharkhand.

Be it enacted by the Legislature of Jharkhand in the sixty ninth year of the Republic of India as follows:-

Index

1. Short title, extent and commencement.
2. Amendment of section-19 of (Act, 12 of 1887).
3. Subtitution of the words “**fifty thousand**” in sub-section (1) of section-19 of (Act, 12 of 1887).
4. Subtitution of the words “**one lac**” in sub-section (2) of section-19 of (Act, 12 of 1887).
5. Amendment of section-21 of (Act, 12 of 1887).
6. Subtitution of the words “**two lac fifty thousand**” clause (a) of sub-section (1) of section-21 of (Act, 12 of 1887).

1. Short title, extent and commencement – (1) This Act may be called **the Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Jharkhand Amendment) Act, 2018**.

(1) It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section-19 of (Act, 12 of 1887).- In section 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act 12 of 1887) (hereinafter referred to as the said Act):-

(i) In sub-section (1) for the words "**fifty thousand**" the words "**five lakhs**" shall be substituted;

(ii) In sub-section (2) for the words "**one lac**" the words "**seven lakhs**" shall be substituted.

3. Amendment of section-21 of (Act, 12 of 1887).- In section 21-

(i) In clause (a) of sub-section (1) for the words "**two lac fifty thousand**" the words "**twenty five lakhs**" shall be substituted;

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, रांची |

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 431 -- 50